

पोलिंग सेंटर पर गड़बड़ दिखे तो एक्शन लें कलेक्टर

इंदौर-उज्जैन संभाग के कलेक्टरों-एसपी की बैठक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देश

भोपाल, यशभारत। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि 7 और 13 मई को होने वाले मतदान के दौरान मतदान में बाधा डालने वाले तत्वों पर निगरानी रखने के लिये क्रिटिकल (संवेदनशील व अतिसंवेदनशील) मतदान केन्द्रों के भीतर व बाहर सीसीटीवी लगाए जाएं। इन कैमरों से होने वाली वेब कास्टिंग की निगरानी की पुख्ता व्यवस्था करें, जिससे किसी केन्द्र पर मतदान में अनियमितता दिखाई दे, तो तत्काल कार्रवाई की जा सके। राजन ने गुरुवार को इंदौर और उज्जैन संभाग के कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा बैठक की। सीईओ ने कहा कि बल्नेरेबल क्षेत्र के मतदान केन्द्रों में सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए जाएं। जिन भवनों में पांच या उससे अधिक मतदान केन्द्र हैं वहां अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने के निर्देश भी दिये गए।

मतदाताओं को जागरुक करने गांव गांव दल बनाएं

दोनों ही संभागों की संभागीय समीक्षा बैठक में चुनाव पूर्व तैयारियों की जानकारी सीईओ राजन द्वारा ली गई और मतदाता पची वितरण का काम सी फीसदी कराने व मतदाताओं को वोटिंग के लिए प्रोत्साहित करने वाले अधिकाधिक कार्यक्रम करने के लिए कहा गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने कहा कि अधिकारी अंतर्राज्यीय व अंतर जिला नाकों पर 24 घंटे विशेष निगरानी रखें। अवैध धन, मदिरा व अन्य मादक पदार्थ व अवैध हथियारों सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त करें। साथ ही, अवैध गतिविधियों में लिप्त असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने बॉन्ड ओवर की कार्रवाई में तेजी लाने और जिलाबदर आदेश का पालन कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि यह तय किया ऐसे कि एसएसटी, एफएसटी व वीएसटी सतर्क होकर काम करें।

सी-विजिल एप पर उल्लंघन की मिली 4 हजार 292 शिकायतें सभी शिकायतों का हुआ त्वरित निराकरण

भोपाल, यशभारत। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए 16 मार्च से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। नागरिकों से सी-विजिल एप पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। आचार संहिता के 16 मार्च से 2 मई तक सी-विजिल एप पर आचार संहिता उल्लंघन की 4 हजार 292 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन सभी शिकायतों का त्वरित निराकरण कर दिया गया है। श्री राजन ने बताया कि मुख्य रूप से खालिपर में 513, सागर में 327, दमोह में 303, उज्जैन में 267, मुराै में 231, राजगढ़ में 192, इंदौर में 182, रीवा में 168, कटनी में 131, खरगोन में 124, सीहोर में 120, भोपाल में 110, छतरपुर में 109,



नरसिंहपुर में 109, और सतना जिले में 105 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्रदेश के अन्य जिलों से भी इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं। श्री राजन ने प्रदेश के नागरिकों से आग्रह किया है कि यदि वे निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी किसी भी प्रकार की सीधी शिकायत करना चाहते हैं, तो वे सी-विजिल एप के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित नागरिक को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सी-विजिल एप डाउनलोड करना होगा।

100 मिनट के अंदर की जाएगी कार्रवाई

श्री राजन ने बताया कि नागरिक को आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी किसी भी घटना की जानकारी होने पर फोटो या वीडियो सी-विजिल एप पर अपलोड करना होगा। शिकायत मिलने पर अगले 100 मिनट के भीतर कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव आचरण संहिता के उल्लंघन वाली शिकायतों के निवारण के लिए सी-विजिल एप तैयार किया गया है। इस एप के जरिए व्यक्ति राजनैतिक दलों या प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को तुभाने के लिए किसी भी तरह से धन, सामग्री, कपड़े, जेवरात आदि का वितरण करने, मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए धमकाने, मतदाताओं को खर्च के वाहन से लाने-ले जाने, किसी भवन खासगी की अनुमति के बिना उसके भवन या दीवारी या परिसर पर चुनाव प्रचार सामग्री चस्पा करने, लगाने या दीवार पर चुनावी विज्ञापन लिखवाने सहित अन्य प्रकार की शिकायतें कर सकते हैं।

ट्रेनो में महिलाओ के हैड बैग चोरी

भोपाल (ईएमएस)। राजाधनी से गुजरने वाली ट्रेनो में चोरी, झपटमारी की वारदातों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। प्रयागराज एक्सप्रेस में सफर कर रही एक महिला का जहाँ बदमाश परस छीनकर भाग गया वहीं प्लेटफार्म क्रमांक-6 स्थित मुसाफिरखाना के पास सो रही महिला का बैग अज्ञात आरोपी ने चोरी कर लिया। पुलिस के अनुसार भोपाल की रतने वाली हर्षा चोटरानी ने अपनी शिकायत में बताया कि बीते दिनों वह प्रयागराज एक्सप्रेस में खजुराहो से बैरागढ़ भोपाल का सफर कर रही थी। सुबह करीब सवा छह बजे ट्रेन डी के मुहाने निशातपुर के पास धीमी रफ्तार में चल रही थी। स्टेशन नजदीक आने के कारण हर्षा अपना सामान लेकर गेट के पास आ गई और एक सीट पर बैठ गई। उसी समय अज्ञात युवक उनके करीब पहुंचा और उनके हाथ में पकड़ा हैडबैग छीनकर तेजी से भाग गया। बैग में नगदी, कीमती आईफोन, सोने की



चैन, सोने की रिंग, झूयविंग लायसेंस समेत करीब 1 लाख से अधिक का

सामान रखा हुआ था। वहीं सागर निवासी ताहिरा बी ने जीआरपी को

ट्रेन में चढ़ते समय जेबकट ने परस उड़ा दिया, सफर के दौरान मोबाइल चोरी
भोपाल (ईएमएस)।। रनिंग ट्रेनो में शातिर जेबकटो द्वारा भीड़भाड़ का फायदा उठाकर मुसाफिरों के मोबाइलो पर हाथ साफ किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गुना निवासी दीपक जैन ने अपनी शिकायत में बताया कि वह पिछले दिनों भोपाल बीना मेमो पैसेंजर से भोपाल से विदिशा जा रहे थे। ट्रेन के जनरल कोच में चढ़ते समय भीड़ होने पर अज्ञात आरोपी ने उनकी पैंट की जेब में रखा परस चोरी कर लिया। चोरी गये परस में 8 हजार की नगदी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सहित अन्य जरूरी दस्तावेज रखे हुए थे। वहीं भोपाल में रहने वाले रामस्वरूप चौरसिया पिछले दिनी शाहीनगर एक्सप्रेस के जनरल कोच से सागर से संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन आ रहे थे। बोगी के अंदर काफी भीड़भाड़ का फायदा उठाकर अज्ञात आरोपी ने निशातपुरा यार्ड के उनकी जेब में रखे मोबाइल फोन पर हाथ साफ़ कर दिया। जीआरपी ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

बताया कि बीते दिनों वह ट्रेन से सफर कर भोपाल आई थी। रात अधिक होने के चलते वह प्लेटफार्म क्रमांक-6 स्थित मुसाफिरखाना के पास बैठ गई जहाँ उनकी नींद लग गई। इसी बीच बदमाश ने उनके बैग से एक लेडीज परस पार कर लिया। चोरी गये परस में पांच हजार की नकदी, सोने के जेवरात, पासपोर्ट सहित अन्य जरूरी दस्तावेज रखे हुए थे। दोनो ही मामलो में जीआरपी ने अज्ञात बदमाशो के खिलाफ मामला कायम कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

सूखा और गीला कचरा अलग-अलग मांगने पर हुआ विवाद, निगम टीम के साथ भाईयो ने की मारपीट

भोपाल, यशभारत। राजधानी के गौतम नगर थाना इलाके में सूखा और गीला कचरा अलग-अलग मांगने पर दो भाइयों ने नगर निगम कर्मचारियों के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट कर दी। घटना को लेकर गुस्साए निगम कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में थाने पहुंचकर चेतावनी दी कि यदि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो शुक्रवार से वह काम बंद करते हुए कचरा कलेक्शन नहीं करेंगे। जानकारी के अनुसार निगमकर्मि साजिद, रेखा इंग्ले और करण इंग्ले गुरुवार दोपहर वार्ड-15 के जेपी नगर की गली नंबर-3 में वे डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन करने गये थे। इस दौरान आरोपी कम्कु और उसका छोटा भाई छोटू कचरा डालने आए। उनका कचरा देख निगमकर्मियों ने उनसे कहा कि वह सूखा और गीला कचरा अलग-अलग दें। इस बात पर आरोपी भड़क गये और दुर्व्यवहार करते हुए निगमकर्मियों से मारपीट करते हुए तलवार से काट देने की धमकी भी दी। तीनों कर्मचारी वहाँ से बचकर अन्य कर्मचारियों के साथ गौतम नगर थाने पहुँचे। वहीं घटना की जानकारी लगते ही थाना परिसर में बड़ी संख्या में निगमकर्मि जमा हो गए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज सहित जान से मारने की धमकी देने का मामला कायम कर लिया है।

4 दर्जन (50) बदमाशों को किया जिला बदर

भोपाल (ईएमएस)। आगामी लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं निर्भीक संपन्न कराए जाने तथा अपराधों की रोकथाम एवं शांति व सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर न्यायालय पुलिस आयुक्त भोपाल द्वारा 10 आदतन अपराधियों/निगरानी गुंडे, बदमाशों के विरुद्ध जिला बदर के आदेश पारित किए गए हैदू आचार संहिता उपरांत अब तक कुल 50 बदमाशों को जिला बदर किया जा चुका है छ उक्त आरोपियों के विरुद्ध भोपाल शहर के विभिन्न थानों में लूट, हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती की योजना, छेड़छाड़, मारपीट, चोरी इत्यादि गंभीर अपराध दर्ज हैदू **निम्न अनावेदको/आरोपियों के विरुद्ध किए जिला बदर के आदेश पारित**

1- अनावेदक शुभम बुंदेला पिता - स्व. कमलेश बुंदेला उम्र 28 साल निवासी- सुन्दर नगर थाना छेला मंदिर भोपाल का वर्ष 2०14 से लगातार अपराध घटित करता आ रहा है।
2- अनावेदक शाद पिता राजा सादिक उम्र 29 निवासी- म.नं. 01 गली नं. 01 के.एम.सी. लॉज के पास सेन्ट्रल लायब्रेरी रोड, थाना मंगलवारा भोपाल छ
3- अनावेदक सैय्यर माजिद हुसैन पिता मकसूद हुसैन उम्र 25 साल निवासी म .-144 पुतलीचर तिराहा थाना टीलाजमालपुरा भोपाल का वर्ष 2०11 से लगातार



अपराध घटित करता आ रहा है। यह लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहता है।
4- अनावेदक रिजवान उर्फ गोल्डन पिता मसूद हुसैन उम्र 25 साल निवासी- पुतलीचर चौराहा, थाना टीलाजमालपुरा, भोपाल का वर्ष 2009 से लगातार अपराध घटित करता आ रहा है। यह लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहता है
5-

अनावेदक गब्बर उर्फ अमान पिता मुश्तकीन उम्र 20 साल नि0 मनं.- 137 राशिद टाडा का मकान बाग मुक्ती साहब कबौटपुरा थाना टीलाजमालपुरा भोपाल का वर्ष 2020 से लगातार अपराध घटित करता आ रहा है। यह लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहता है
6- अनावेदक फराज उर्फ चू चू पिता पप्पू उर्फ हसीन खान

उम्र 24 साल निवासी 1/6 नगर निगम कालोनी थाना टीलाजमालपुरा भोपाल का वर्ष 2015 से लगातार अपराध घटित करता आ रहा है। यह लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहता है।
7- अनावेदक निखिल कुचबर्दिया पिता कुन्दन कुचबर्दिया उम्र 23 साल निवासी म.नं. 14 तिलक मार्केट इतवारा तलैया भोपाल का वर्ष 2०17 से लगातार अपराध घटित करता आ रहा है। यह लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहता है।
8- अनावेदक नीलेश मीणा पिता हरिनारायण मीणा उम्र 33 साल निवासी- ग्राम बैरागढ़ कला, थाना खजूरी सड़क, भोपाल का वर्ष 2012 से लगातार अपराध घटित करता आ रहा हैं
9- अनावेदक बादशाह पिता राजा रियां उम्र 35 साल निवासी- म.नं. 09 गली नं. 02 कुम्हारपुरा, थाना मंगलवारा, भोपाल का वर्ष 2006 से लगातार अपराध घटित करता आ रहा है। यह लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहता है।
10- अनावेदक सुमित सिंह उर्फ लख्म पिता अंतर सिंह उर्फ कात्ताराम सिंह उम्र 24 साल निवासी- म.नं. बी-51 मद्रासी कालोनी पंचशील नगर, थाना टी.टी.नगर भोपाल का वर्ष 2019 से लगातार अपराध घटित करता आ रहा था।

कहा कि इसके लिए च्चलें बूथ की ओरज अभियान चलाएँ। प्रत्येक मतदान केन्द्र से जुड़ी बस्तियों के हर घर तक यह संदेश पहुँचे कि 13 मई को सभी अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें। मतदाताओं को वोट डालने के लिये घर-घर जाकर प्रेरित करने के लिये सभी जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिये स्थानीय दल गठित करें। मतदान दिवस पर पर भी इस दल का सहयोग लेकर लोगों को मतदान के लिये बुलाएँ। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ खासकर शहरी क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा आदर्श मतदान केन्द्र स्थापित किए जाएँ। इन केन्द्रों की सुविधाएँ ऐसी हों, जिससे अधिक से अधिक मतदाता वोट डालने के लिये प्रेरित हों। मतदाताओं का स्वागत आम का पना, जलजीरा, छछ इत्यादि प्रकार के वेलकम ड्रिंक्स से किया जा सकता है। श्री राजन ने कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने में मतदाता सूचना पंचियों का वितरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतदाता पंचियों के वितरण पर विशेष ध्यान दिया जाये। कोई भी मतदाता पची मिलने से वंचित नहीं रहें। यह सुनिश्चित किया जाये कि शत-प्रतिशत मतदाताओं तक पंचियाँ पहुँच जाएँ। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को यह समझाया जाये कि मतदाता पची ही मतदान के लिए पर्याप्त नहीं है। मतदाता पची के साथ में उन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक पहचान दस्तावेज भी लाना होंगे। इंदौर एवं उज्जैन संभाग के संभागायुक्त, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों ने अपने-अपने जिले की चुनाव तैयारियों एवं स्वीप गतिविधियों तथा अन्य नवाचारों की जानकारी दी। बैठक में अनुपम राजन ने झाबुआ जिले में मतदाता जागरूकता के लिए तैयार किये गये कैलेण्डर का विमोचन भी किया। कैलेण्डर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत किये जा रहे कार्यों के फोटोग्राफ तथा मतदाता जागरूकता के संदेशों का सुन्दर चित्रण किया गया है।

अंतर्राज्यीय एवं अंतर जिला नाकों पर 24 घंटे रखें निगरानी

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि अंतर्राज्यीय एवं अंतर जिला नाकों पर 24 घंटे विशेष निगरानी रखें। अवैध धन, मदिरा, मादक पदार्थ और अवैध हथियारों सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त करें। साथ ही इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में लिप्त असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये। उन्होंने बाण्ड ओवर की कार्रवाई में तेजी लाने और जिलाबदर आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश भी दिये। साथ ही उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि एसएसटी, एफएसटी एवं वीएसटी पूरी तरह मुस्तैद रहे। श्री राजन ने बल्नेरेबल क्षेत्र के मतदान केन्द्रो में सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम करने के निर्देश दिए। जिन भवनों में पाँच या उससे अधिक मतदान केन्द्र हैं, वहाँ अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने के निर्देश भी दिये। जिन मतदान केन्द्रों में मतदाताओं की संख्या अधिक है वहाँ अतिरिक्त मतदान कर्मियों की तैनाती करें, जिससे मतदान सुचारु रूप से चलता रहे।

मतदान की निगरानी के लिए रहेगी वेबकॉस्टिंग की व्यवस्था

श्री राजन ने कहा कि मतदान में बाधा डालने वाले तत्वों पर निगरानी रखने के लिये क्रिटिकल (संवेदनशील व अतिसंवेदनशील) मतदान केन्द्रों के भीतर और बाहर सीसीटीव्ही कैमरे लगाए जाएँ। इन कैमरों से होने वाली वेब कास्टिंग की निगरानी की पुख्ता व्यवस्था करें, जिससे यदि किसी केन्द्र पर मतदान में अनियमितता दिखाई दे तो तत्काल कार्रवाई की जा सके। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर मतदान केन्द्र तक व्यापक स्तर पर मतदाता जागरूकता गतिविधियाँ चलाने पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने विशेष जोर दिया। उन्होंने

एफआईआर के बाद एसआई हुआ गायब, शिनाख्ती परेड कराने की तैयारी में पुलिस

भोपाल के नामी बॉर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में 8 साल की बच्ची से रेप का मामला



अप्रैल को बच्ची का एडमिशन कराने के लिये एसआई राजपूत के साथ ही स्कूल आई थी। एसआई प्रकाश राजपूत कई बार विवादो में फिर चुके है। इससे पहले वो बैरागढ़ थाने में महिला के साथ केक कटवाने के चक्कर में विवाद में आए थे। इसके अलावा मिसरोद थाने में तैनात रहने के दौरान लोकायुक्त पुलिस ने उन्हें रिश्तत लेते हुए भी पकड़ा था। जिसमें वे बहाल भी हो गए थे। इसके साथ ही अरेरा हिल्स थाने से भी एक बिल्डर को फोन करने को लेकर वह चर्चा में रह चुके थे। सूत्रो के अनुसार मामला हाई प्रोफाइल होने से एसआईटी हर पहलू की बारीकी से जाँच करने के साथ ही स्कूल संचालक, वार्डन, एसआई राजपूत और पीड़िता की मां की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। यह जांच एसीपी मिसरोद संभाग रजनीश कौल की निगरानी में की जा रही है। जिसमें मिसरोद थाना प्रभारी

मनीष राज सिंह भदौरिया, एसआई श्वेता शर्मा और रासबिहारी शर्मा लगातार छानबीन में जुटे हैं। जांच टीम स्कूल पहुंची और वहाँ हॉस्टल के उस कमरे की पड़ताल की जहाँ मासूम बच्ची रहती थी। पुलिस ने वार्डन से भी पूछताछ की है, साथ ही टीम बच्ची से भी बातचीत कर रही है। पीड़िता के मजिस्ट्रीयल बयान भी दर्ज कराए गए हैं। पीड़िता की माँ लगातार नामजद एफआईआर न होने के साथ अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं किये जाने पर पुलिस कार्यवाही पर सवाल उठा रही है। जानकारी के अनुसार यह स्कूल दो सौ भाई मिनीराज मोदी और विनयराज मोदी मिलकर चलाते हैं। ऐसे में अंदरूनी सूत्रो के मुताबिक जिन लोगो पर महिला ने आरोप लगाए हैं, पुलिस उनकी पहचान करने के लिये पीड़िता के सामने उनकी शिनाख्ती परेड कराने की तैयारी में है, ताकि एफआईआर में आरोपियों को नामजद किया जा सके। मेडिकल रिपोर्ट में प्राइवेट पर्ट से छेड़छाड़ की पुष्टि होने पर मिसरोद पुलिस ने मंगलवार देर रात तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए हॉस्टल के सीसीटीवी का डीवीआर जब्त किया है। हैवानियन की घटना को लेकर करणी सेना और बजरंग दल संगठनो ने स्कूल के सामने ही विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलला जलाया। संगठनो ने चेतावनी दी है कि यदि तीन दिनों के भीतर कड़ी कार्यवाही करने के साथ ही की और प्रशासन ने स्कूल पर बुलडोजर नहीं चलाया तो संगठन कार्यकर्ता खुद ही तोड़फोड़ कर देंगे।

खुले, अनुपयोगी, अधूरे छोड़े गए नलकुप, बोरेबेल संबंधी शिकायतों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त

भोपाल (ईएमएस)। खुले, अनुपयोगी, अधूरे छोड़े गए नलकुप, बोरेबेल में छोटे बच्चों के गिरने की दुर्घटनाओं से संबंधित शिकायतों के संबंध में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा नोडल विभाग बनाया है जिसमें खुले, अनुपयोगी, अधूरे छोड़े गए नलकुप, बोरेबेल से संबंधित शिकायतों का सी.एम.हेल्थलाईन पोर्टल पर प्राप्त कर उनके निराकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास, आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका बैरसिया, सभी अनुविभागीय अधिकारी हुजूर, कोलार, बैरसिया, एमपीनगर टीटी नगर, शहरवृत्त, बैरागढ़, गोविंदपुरा राजस्व, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पंच, बैरसिया एवं जिला परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अधिकरण को निर्देश दिए हैं। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सीएम हेल्थलाईन पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सेवाओं से संबंधित अधिकारी जो सीएम हेल्थलाइन पोर्टल पर लेवल-01, लेवल-02, लेवल-03 एवं लेवल-04 अधिकारी के रूप में पूर्व से नामांकित है, उन्ही अधिकारियों को सी.एम. हेल्थलाईन पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिए लेवल-1, लेवल-2, लेवल-3 एवं लेवल-4 अधिकारी के रूप में नामांकित



किया गया है। जारी आदेश अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के लिए एल-1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, एल-2 अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, एल-3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, एल-4 जिला कलेक्टर होंगे। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत के लिए एल-1 मुख्य नगर पालिक अधिकारी, एल-2 अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, एल-3 परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अधिकरण एवं एल-4 जिला कलेक्टर होंगे। इसी तरह जिले नगर निगम क्षेत्र एल-1 वार्ड प्रभारी, एल-2 शहरी विकास अधिकारी, एल-3 आयुक्त नगर निगम एवं एल-4 कलेक्टर होंगे। शिकायतों की समय-सीमा 7 से 15 दिवस तक रहेगी। सभी लेवल-1, लेवल-2 एवं लेवल-3 को खुले, अनुपयोगी, अधूरे छोड़े हुए शासन नलकुप, बोरेबेल में छोटे बच्चों के गिरने की दुर्घटनाओं से संबंधित शिकायतों को सी.एम. हेल्थलाईन पोर्टल पर प्राप्त होने के उपरांत तत्काल कार्यवाही करें।

सावधानी हटते ही कंट्र से हो सकती हैं दुर्घटनाएं

भोपाल, यशभारत। मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने जनता को आगाह किया है कि जरा सी असावधानी करंट से बड़ी दुर्घटना को कारण बन सकती है। इसलिए आमजन करंट से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम में सहयोग करें एवं बिजली लाइनों तथा ट्रांसफार्मर से उचित दूरी बना कर रखें। विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि विद्युत लाइनों, ट्रांसफार्मरों एवं उपकरणों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ न करें तथा सुरक्षित दूरी बनायें रखें। यदि आँधी तूफान में खड़े, तार आदि टूटें हों तो इसकी सूचना तत्काल कंपनी के शिकायत कल सेंटर के टोल फ्री नं. 1912 पर, उपाय एप एवं सीमाप के वितरण केन्द्र कार्यालय में दें। आमजन विशेष रूप से ध्यान दें कि यदि जमीन पर बिजली के तार टूट पड़े हैं तो उन तारों को छूने या स्पर्श करने की गलती न करें साथ ही उनके ऊपर से निकलने का प्रयास न करें। पान टपरों तथा ऐसी दुकानों जिनमें लोहे की चादर का इस्तेमाल होता है, में वॉरियर को सुरक्षित ढंग से पी.डी.सी. पाईप के द्वारा ही कराई जाए।

आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पश्कवार श्री अमित कुमार सोनी निवासी मोहित काम्प्लेस फ्लैट नंबर 301 (ए) कबीर मार्ग नवीन विद्याभवन विद्यालय के पास नैचियर दाउन जबलपुर मध्यप्रदेश द्वारा मौजा लक्ष्मीपुर पटवारी हल्का नं 25/31 नया 4 हल्का लक्ष्मीपुर यमीन नं लक्ष्मीपुर (पुराना जबलपुर-1) तहसील आधारताल जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं 68/2/5 का भाग प्लाट नं 3 स्कवा 20x51=1020 वर्गफुट भूमि को विक्रेता श्रीमती सुरभि जैन पति राहुल जैन निवासी पी 12 शिवनगर दमोहनका जैन मंदिर के पास जिला जबलपुर वालों से क्रय किया जाना है तथा शीघ्र ही विक्रय पत्र का निष्पादन एवं पंजीयन होना है।अतः जिस किसी भी व्यक्ति, बैंक, शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा अन्य किसी को भी किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो वह पांच दिवस के अंदर मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर नय दस्तावेज केआपति प्रस्तुत करें अन्यथा पांच दिवस उपरांत मेरा पश्कवार विक्रय पत्र का पंजीयन करा लेगा फिर किसी भी प्रकार की आपत्ति हक या अधिकार मान्य नहीं होगा एवं मेरे पश्कवार पर बंधनकारी नहीं होगा।जबलपुर दिनांक 3.5.2024
मोहन कुमार शुक्ला अधिकृत मो. 9993849408